

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 321, दिनांक: 02-11-2024

थाना बखरी व थाना मझौल जनपद बेगुसराय, बिहार राज्य में पंजीकृत क्रमशः मु0अ0सं0-439/2022 व मु0अ0सं0-20/2023 में फरार/वांछित अभियुक्त जनपद देवरिया से गिरफ्तार।

दिनांक 02-11-2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना बखरी व थाना मझौल जनपद बेगुसराय, बिहार राज्य में पंजीकृत क्रमशः मु0अ0सं0-439/2022 धारा 461/379 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0-20/2023 धारा 395/397 भा0द0वि0 में फरार/वांछित अभियुक्त को जनपद देवरिया से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- 1- महेश महतो कामरेड पुत्र बंगाली महतो, निवासी ग्राम पिरौना, थाना हसनपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार।

बरामदगी:

- 1- 01 अदद मोबाइल फोन की-पैड।
- 2- रूपया 16,400/- नगद।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय:

मालगोदाम रोड रेलवे स्टेशन के पास, थाना कोतवाली देवरिया, जनपद देवरिया।
दिनांक 02-11-2024, समय लगभग 16:45 बजे।

थाना बखरी व थाना मझौल जनपद बेगुसराय, बिहार राज्य में पंजीकृत क्रमशः मु0अ0सं0-439/2022 धारा 461/379 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0-20/2023 धारा 395/397 भा0द0वि0 में फरार/वांछित अभियुक्त महेश महतो कामरेड की गिरफ्तारी हेतु बिहार एस0टी0एफ0 (एस0ओ0जी0 03 पटना बिहार) द्वारा गोरखपुर एस0टी0एफ0 से सहयोग मांगा गया था, जिसपर श्री धर्मे श कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में श्री सत्य प्रकाश सिंह निरीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 02-11-2024 को निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह, हे0कां0 अभिलाष कुमार तिवारी, हे0कां0 चन्द्रभूषण सिंह, हे0कां0 गुंजन कुमार सिंह, हे0कां0 गौरव प्रताप सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर एवं निरीक्षक बैजनाथ कुमार, उ0नि0 पंकज यादव, स0उ0नि0 मनीष कुमार, जे0सी0 विमलेश कुमार, चालक जे0सी0 अरविन्द कुमार बिहार एस0टी0एफ0 (एस0ओ0जी0 03 पटना बिहार) की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था कि इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना बखरी व थाना मझौल जनपद बेगुसराय, बिहार राज्य में पंजीकृत उपरोक्त अभियोगों में फरार/वांछित अभियुक्त महेश महतो कामरेड मालगोदाम रोड रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ, उ0प्र0 की टीम व बिहार एस0टी0एफ0 टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए

फरार/वांछित अभियुक्त को उक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त महेश महतो कामरेड ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का 8 लोगों का गैंग था। हम लोगों को जिस घर में डकैती डालनी होती थी उस घर या स्वर्ण/आभूषण की दुकान की पहले रेकी करते थे, रेकी करने के बाद शटर तोड़ने वाला औजार लेकर और सरिया डंडा लेकर डकैती डालते थे। वर्ष 2022 थाना बखरी और वर्ष 2023 में थाना मझौल क्षेत्र में लाखों की डकैती डाले थे। गैंग के अन्य सदस्यों के पकड़े जाने के बाद जनपद देवरिया में छिपकर रह रहा था एवं रेलवे मालगोदाम देवरिया में लेबर का काम कर रहा था।

इसके और इसके गैंग के अन्य सदस्यों के द्वारा कारित की गयी अन्य घटनाओं के बारे में एस0टी0एफ0 बिहार द्वारा अलग से विस्तृत पूछताछ की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कोतवाली देवरिया, जनपद देवरिया में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही बिहार एसटीएफ द्वारा की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:—

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1.	36 / 2010	25(1-बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट	बिथन	समस्तीपुर बिहार
2.	107 / 2013	395 भा०द०वि०	गढ़पुरा	बेगुसराय बिहार
3.	98 / 2022	461 / 379 भा०द०वि०	नयागांव	बेगुसराय बिहार
4.	439 / 2022	461 / 379 भा०द०वि०	बखरी	बेगुसराय बिहार
5.	16 / 2023	461 / 379 भा०द०वि०	समस्तीपुर	समस्तीपुर बिहार
6.	20 / 2023	395 / 397 भा०द०वि०	मझौल	बेगुसराय बिहार
7.	39 / 2023	461 / 379 भा०द०वि०	तिघरा	बेगुसराय बिहार